न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2021/84 दायर दिनांक 24.12.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू –सायल–

बनाम

संदीप कुमार पुत्र महावीर सिंह (मालीक) मै0 श्री कृष्णा रसगुल्ला भण्डार, राजगढ़ रोड़ शास्त्री कृषि यंत्र उद्योग के पास सिद्दमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू। –गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।
2. अधिवक्ता श्री संजय सिहाग वास्ते गैरसायल।

निर्णय दिनांक 05.04.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै फूल सिंह बाजिया कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक एच/पीएफए/नोटीफीकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 व एफएसएसए /2020/750 दिनांक 06.10.2020 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.10.2021 को 02.10 पी.एम. पर मै0 श्री कृष्णा रसगुल्ला भण्डार,राजगढ रोड शास्त्री कृषि यत्रं उधोग के पास सिद्दमुख तह0 राजगढ जिला चूरू ,पर पहुचा। वहां पर संदीप शर्मा मालीक की हैसियत से पाया गया। दुकान में एक एल्यूमिनियम टप मे रखे करीब 50 कि.गा. की रसगुल्लाा बेचने हेतु पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरिक्षण करने पर खाघ पदार्थ **रसगुल्ला** में मिलावट की शंका होने पर 2 कि.गा. **रसगुल्ला**, की साफ– सुखी प्लास्टिक की बोंतलों में वास्तें जांच नमुना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता व मालीक श्री संदीप कुमार को 240/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री इस्लामुदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री संदीप कुमार को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रसगुल्ला** कों प्लास्टिक की 04 बोतलों में 500–500 ग्राम अलग–अलग डालकर बोंतलों के ढक्कन बन्द करकें नमूनें के चार भाग बनायें। चारों भागों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें के भाग पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–2723 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण खाघ पदार्थ की किस्म, दिनांक नमूना लेने का स्थान, अंकित किए लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारों नमूना के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–2723 नियमानुसार चारों नमुना पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावें। नमूना के चारो भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपनें कब्जें में लिया। मौके की फर्द रिपोर्ट बनाकर व्यापारी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं मैनें हस्ताक्षर किये। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है जिसके द्वारा मैने नमूना सील किया।
6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आंउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विश्लेशक राज्य, केन्द्रीय

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेषण क्रमांक–395 दिनांक 26.10.2021 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विश्लेशक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./1195/एक्ट/2021/1175 दिनांक 20.10.2021 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खादय पदार्थ **रसगुल्ला food containing extraneous matter under section 3(1)(i)** होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/514 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

9. यह कि उक्त प्रकरण में संदीप कुमार ने **रसगुल्ला food containing extraneous matter under section 3(1)(i)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिहाग, श्री संजय सिहाग ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल अधिवक्ता की ओर से दिनांक 29.03.2022 को जवाब पेश किया गया व दिनांक 30.03.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान गवाह एवं जिरह करवाई गई।

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला** का सेम्पल नं. एल–2723 रिपोर्ट संख्या एल.एस./1195/एक्ट/2021/1175 दिनांक 20.10.2021 के अनुसार **रसगुल्ला food containing extraneous** पाया गया है। जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ़ व अधिवक्ता गैरसायल को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला** की रिपोर्ट संख्या एल.एस./1195/एक्ट/2021/1175 दिनांक 20.10.2021 से **food containing extraneous matter under section 3(1)(i)** (Food Safety and Standard Act 2006 **due to presence of starch**) होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा **food containing extraneous** खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को **food containing extraneous** खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला** बेचने के कारण एंव उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल संदीप कुमार पुत्र महावीर सिंह (मालीक) मै0 श्री कृष्णा रसगुल्ला भण्डार, राजगढ़ रोड़ शास्त्री कृषि यंत्र उद्योग के पास सिद्दमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू को 50,000/– रूपये (पच्चास हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायलान् को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियाँ, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाध सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/4/22

(लोकेश कुमार गौतम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू